फ़र्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

र्थी / वादी — अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

ालाल — बनाम — लिखमाराम वगैरह

स्म प्रकरण : राजस्व वाद — मुकदमा नं. 144अ / 2021

रिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वर्ष 2021 से प्रतिवादीगण की तलबी में विचाराधीन चल रही है तथा प्रकरण पूर्व में दिनांक 16.08.2021 को अदम हाजरी पर खारिज किये जाने के उपरान्त पुनः 500 रू. कॉस्ट अदायगी पर दिनांक 21.12.2021 को रिस्टोर की गई है। परन्तु वकील वादी द्वारा उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण की तलबी हेतु आजदिन तक सम्मन तलबाना पेश नही किये है। दिनांक 27.02.2024 को वकील वादी के निवेदन पर अन्तिम अवसर प्रतिवादीगण की तलबी रजिस्टर्ड एडी सम्मन पेश करने की हिदायत के साथ प्रदत्त किया गया था। परन्तु साबिका आदेश की पालना वकील वादी ने आदिनांक तक नहीं की है। अतः वकील वादी के बार–2 निवेदन पर अन्तिम अवसर 300/– रू. कॉस्ट पर प्रदत्त किया जाता है। आगामी तारीख पेशी तक प्रतिवादीगण की रजिस्टर्ड एडी सम्मन से तामील पेश नहीं होने पर प्रकरण में सीपीसी प्रावधानुसार आदेश 09 नियम 05 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। मिसल वास्ते तलबी इन्तजार दिनांक 24.04.2025 को पेश हों (हस्ताक्षर) (जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)	
24/4/25	पत्रावली [illegible] एसोसियेशन ने कन्डोलेन्स [illegible] का निवेदन किया। पत्रा[illegible] होकर दिनांक 12/6/25 को पेश हो।	
12/6/25	पत्रावली पेश हुई । वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार पधारे है पत्रावली दिनांक 17/6/25 को पेश हो ।	